135/25

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर हैं। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश हुयी है।

प्रा॰ विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र दावा बाबत तकासमा के साथ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2076-2079 से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त

कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय [stamp: [illegible] कार्यालय जयपुर [illegible]]

केस संख्या TA 83/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	13.5.25	आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 2.7569 है० कुल किता 1 कुल रकबा 2.7569 है०, ग्राम निवारू, पटवार हलका निवारू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर पर माफी मंदिर का Reference विचाराधीन है। इस प्रकार जब तक उक्त आराजीयात पर Reference पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थी उक्त भूमि पर Beyond Doubt (संदेह से परे) सहखातेदार नहीं है।

[signature]

[stamp: [illegible] कार्यालय जयपुर [illegible]]

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

सहायक कलेक्टर [illegible]

न्यायालय

संख्या -05 - 80/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विव
	13/5/25	प्रार्थी की खातेदारी संदेहास्पद (doubtful) है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो पाया है। प्रार्थी यह भी साबित करने में विफल रहा है कि प्रार्थी को किस प्रकार से अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। सारतः प्रार्थी का प्रा॰पत्र अन्तर्गत धारा -212, राज॰ काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर [illegible]

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/5/25	फैसला आज दिनांक 13/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।